

27 मार्च, 2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित SEEPZ SEZ के लिए अनुमोदन समिति की 184 वीं बैठक का कार्यवृत्त।	MINUTES OF 184 <sup>rd</sup> MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 27 <sup>th</sup> MARCH, 2024.
--	---

एसईजेड का नाम Name of the SEZ	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
बैठक संख्या Meeting No	१८४ वी 184 <sup>th</sup>
दिनांक Date	२७.०३.२०२४ 27.03.2024

उपस्थित सदस्य:

**Members Present:**

क्रमांक Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संस्था Organization
1	श्री. सी. पी. एस. चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त. विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner,	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ.
2	श्री. लीडर पणिक्कर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Income Tax office, Mumbai.
3	श्री. हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामांकित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai.
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उप निदेशक उद्योग Director of Industries	उद्योग विकास आयुक्त, जीओएम, मुंबई के नामित Nominee of Development Commissioner of Industries, GoM, Mumbai.
5	श्रीमती सुनीता जगताप Smt. Sunita Jagtap	सीमा शुल्क अधीक्षक Superintendent of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामित Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar.

१/५

<b>विशेष आमंत्रित सदस्य:-</b>	<b>Special Invitee:-</b>
श्री. अनिल चौधरी Shri. Anil Chaudhary	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ

श्री. हनीश राठी, एडीसी (सीपज़-सेज़), श्रीमती रेखा नायर, एडीसी, श्री. जीएस भंडारी, सहायक, श्री. रवीन्द्र कुमार, सहायक, श्री. जगदीश गौड़, एलडीसी और श्री. जनेश त्रिपाठी, एलडीसी ने भी बैठक के सुचारू संचालन और सहायता के लिए भाग लिया।	Shri. Hanish Rathi, ADC (SEEPZ-SEZ), Smt. Rekha Nair, ADC, Shri. GS Bhandari, Assistant, Shri. Ravindra Kumar, Assistant, Shri. Jagdish Gaur, LDC and Shri. Janesh Tripathi, LDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
--	--

1/4

कार्यसूची मद सं. 01: 07.02.2024 को आयोजित 183 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		Agenda Item No. 01: Confirmation of the Minutes of the 183 <sup>rd</sup> Meeting held on 07.02.2024.			
निर्णय: विचार विमर्श के बाद, 07.02.2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।		Decision: After Deliberation, the Minutes of the meeting held on 07.02.2024 were confirmed with consensus.			
कार्यसूची मद सं. 02 : साल की शेष अवधि यानी 2023-2024 से 2024-25 के लिए मध्यावधि संशोधन के लिए आवेदन।  मेसर्स. गोल्ड स्टार ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड ने अतिरिक्त आयात और निर्यात पर अनुमानों में वृद्धि के कारण 2 साल की शेष अवधि यानी 2023-2024 से 2024-25 के लिए मध्यावधि संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और विवरण निम्नानुसार हैं: -		Agenda Item No. 02 : Application for Mid-term Revision for remaining period of 2 years i.e. 2023-2024 to 2024-25.  M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd. had submitted the application for Mid-term Revision for remaining period of 2 years i.e. 2023-2024 to 2024-25 due to increase in the projections on additional import and exports and the details are as under :-			
शेष 2 वर्षों अर्थात 2023-24 से 2024-25 की अवधि के लिए मध्यावधि संशोधित अनुमानों का विवरण।					
Details of the mid-term revised projections for remaining period of 2 years i.e. 2023-24 to 2024-25.					
<b>Projections:-</b>		(Figs. Rs. in Crore)			
Sr. NO.	Particulars	स्वीकृत प्रक्षेपण	2 वर्ष यानी 2023-24 से 2024-25 के लिए मध्यावधि संशोधित प्रक्षेपण के लिए प्रस्तावित	2 वर्ष 2023-24 से 2024-25 के लिए मध्यावधि संशोधित प्रक्षेपण के लिए प्रस्तावित	000 अमेरिकी डॉलर = रुपये
		पांच वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए Approved Projection For five year 2020-21 to 2024-25	Approved projection for 2 Year i.e. 2023-24 to 2024-25	Proposed for Mid-term Revised Projection for 2 Year 2023-24 to 2024-25	US \$ 000 = Rs. 82.00
		Rs. In Cr.	Rs. In Cr.	Rs. In Cr.	(US\$ '000')
1.	निर्यात का एफओबी मूल्य FOB value of Exports	784.00	370.00	1650.00	201219.51
2.	मशीनरी का आयात Import of Machinery	12.21	4.86	10.21	1245.15
3.	कच्चे माल का आयात Import of Raw Material and components	663.356	275.65	1320.00	160975.61
4.	मरम्मत के लिए अप्रयुक्त/प्रयुक्त, नए, टूटे हुए आभूषण/तृतीय पक्ष	-	37.00	33.00	4024.39

14

	की मरम्मत , रीमेकिंग और रीमेल्टिंग और अन्य इनपुट आदि। Unused /used, new, broken jewellery for repair / third party repair, Remaking and remelting and other Input etc.				
5.	पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों का आयात Import of Spares & Consumables	11.76	5.55	99.00	12073.17
6.	विदेशी सहयोगियों को लाभांश और मुनाफे का प्रत्यावर्तन Repatriation of dividends and profits to foreign collaborates	-	-	-	-
7.	रॉयल्टि Royalty	-	-	-	-
8.	लंपसम जानिए कैसे फीस Lumpsum Know how fee	-	-	-	-
9.	डिजाइन और ड्राइंग फीस Design & Drawing fees	-	-	-	-
10.	विदेशी तकनीशियनों पर भुगतान Payment on Foreign technicians	-	-	-	-
11.	भारतीय तकनीक के प्रशिक्षण पर भुगतान। विदेश को Payment on training of Indian tech. Abroad	-	-	-	-
12.	निर्यात पर कमीशन Commission on export	11.76	5.55	16.50	2012.20
13	विदेश यात्रा Foreign Travel	4.00	2.00	6.00	731.71
14	बाहरी वाणिज्यिक उधार/आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का एएमटी (विवरण निर्दिष्ट करें) Amount of interest to be paid on ECB	-	-	-	-
15.	कोई अन्य भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें ) पत्रक और विज्ञापन। सामग्री Any other payment	-	-	-	-
16.	<b>Total (2 to 14)</b>	<b>703.26</b>	<b>330.61</b>	<b>1484.71</b>	<b>181062.22</b>

11/11

17.	NFE (1-15)	80.73	39.38	165.29	20157.29	
<p>समिति ने यूनिट प्रतिनिधि से निर्यात में भारी वृद्धि की चर्चा की। उन्होंने उचित ठहराया कि चूंकि उन्हें एसडीएफ -7 में अतिरिक्त स्थान प्लॉट नंबर 30 और और एसडीएफ -7 में अतिरिक्त स्थान आवंटित किए गए थे, इसलिए उन्होंने निर्यात का अनुमान लगाया था और इस प्रकार बढ़े हुए निर्यात आदेशों के कारण निर्यात में भारी वृद्धि हुई थी।</p>		<p>Committee discussed with the the Unit representative the reason for huge growth of exports. They justified that as they were allotted additional locations viz. Plot no. 30 and gala in SDF-7, they had given export projections and thus due to increased export orders the huge growth in exports.</p>				
<p><b>निर्णय:-</b> विचार-विमर्श के बाद , समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 19 (2) के संदर्भ में 2 साल यानी 2023-24 से 2024-25 के मध्यावधि प्रक्षेपण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।</p>		<p><b>Decision:-</b> After deliberation, the Committee approved the proposal for mid-term projection of 2 years i.e. 2023-24 to 2024-25 in terms of Rule 19 (2) of the SEZ Rules 2006.</p>				
<p><b>कार्यसूची मद सं. 03 :</b> मेसर्स. अम्मांते ज्वेल्स एलएलपी का आवेदन कंपनी के साझेदारों के लिए साझेदारों के परिवर्तन और लाभ साझाकरण अनुपात में बदलाव के लिए।</p> <p>मेसर्स. अम्मांते ज्वेल्स एलएलपी ने कंपनी के भागीदारों के लिए भागीदारों के परिवर्तन और लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और विवरण निम्नानुसार हैं: -</p>		<p><b>Agenda No. 03 :</b> Application of M/s. Ammante Jewells LLP for Change of Partners &amp; Change in Profit sharing ratio for partners of the Company.</p> <p>M/s. Ammante Jewells LLP had submitted the application for Change of Partners &amp; Change in Profit sharing ratio for partners of the Company and the details are as under :-</p>				
<p><b><u>कंपनी के सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व और पश्चात लाभ साझाकरण अनुपात का विवरण: -</u></b></p> <p><b><u>Details of Pre &amp; Post profit sharing ratio after retirement of the company: -</u></b></p>						
क्रमांक Sr. No.	सहभागी का नाम से पहले साझेदारों के नाम of Partners before Retirement	सेवानिवृत्ति Name	पद का नाम Designation	क्रमांक Sr. No.	सहभागी का नाम सेवानिवृत्ति के बाद साझेदारों के नाम Name of Partners after Retirement	पद का नाम Designation
1.	श्रीमती मिली जे. सांघवी Mrs. Mili J. Sanghvi		भागीदारों Partners	1.	श्रीमती मिली जे सांघवी Mrs. Mili J Sanghvi	भागीदारों Partners
	श्री शैरुल एस ज़वेरी		भागीदारों		श्री शैरुल एस ज़वेरी	भागीदारों

1/4

2.	Mr. Shairul S Zaveri	Partners	2.	Mr. Shairul S Zaveri	Partners
3	श्री विमेश एन शाह Mr. Vimesh N Shah	भागीदारों Partners			
4	श्रीमती मीता वी. शाह Mrs. Mita V. Shah	भागीदारों Partners			

**कंपनी के साझेदारों की सेवानिवृत्ति से पहले और बाद में लाभ साझाकरण अनुपात का विवरण।**

**DETAILS OF PROFIT SHARING RATIO BEFORE AND AFTER RETIREMENT OF PARTNERS OF THE COMPANY.**

**पूर्व और पश्चात लाभ साझाकरण अनुपात का विवरण :**

**Details of Pre & Post profit sharing ratio :-**

Sr. No.	साझेदारों का नाम Name of Partners	%शेयरों का % of Shares	Sr. No.	साझेदारों का नाम Name of Partners	% शेयरों की % of Shares
1	श्रीमती मिली जे. सांघवी Mrs. Mili J. Sanghvi	46 %	1	श्रीमती मिली जे सांघवी Mrs. Mili J Sanghvi	90 %
2	श्री शैरुल एस ज़वेरी Mr. Shairul S Zaveri	20%	2	श्री शैरुल एस ज़वेरी Mr. Shairul S Zaveri	10 %
3	श्री विमेश एन शाह Mr. Vimesh N Shah	17 %	-	-	-
4	श्रीमती मीता वी. शाह Mrs. Mita V. Shah	17 %	-	-	-
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

**निर्णय :** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एमओसी एंड आई निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में कंपनी के भागीदारों के लिए भागीदारों के परिवर्तन और लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया: -

- परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
- परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
- सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- इक्विटी/विलय, विभाजन, सम्मेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
- मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय,

**Decision :** After deliberation, the Committee **approved** the proposal of the unit for Change of Partners & Change in Profit sharing ratio for partners of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:-

- Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
- Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including

114

<p>विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।</p> <p>6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।</p> <p>7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।</p>	<p>security clearances etc, by the altered entity and its constituents.</p> <p>3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.</p> <p>4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&amp;R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.</p> <p>5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.</p> <p>6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.</p> <p>7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.</p> <p>8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.</p>
<p>समिति ने संपदा अधिकारी को 47,48,370/- रुपये के किराये के बकाया को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि इकाई के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि उन्होंने पहले ही सभी बकाया का भुगतान कर दिया है।</p>	<p>Committee also directed Estate Officer to verify the rental dues of Rs. 47,48,370/-, as the representative of the unit confirmed that they had already paid all dues.</p>
<p>कार्यसूची मद सं 4: साझेदारी में बदलाव के लिए मेसर्स जेनस्टार ज्वेलरी एलएलपी से प्राप्त आवेदन</p>	<p><b>Agenda Item No. 4:</b> <b>Application received from</b></p>

1/4

मेसर्स जेनस्टार ज्वेलरी एलएलपी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार साझेदारी और शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:	<b><u>M/s. Zenstar Jewellery LLP for Change in Partnership.</u></b> M/s. Zenstar Jewellery LLP has submitted proposal for Change in Partnership and share holding pattern as per details below :
--	---

**लाभ साझाकरण अनुपात पूर्व और पश्चात**  
**Profit Sharing Ratio pre and Post**

पार्टनर का नाम Name of Partner	पुराना लाभ साझाकरण अनुपात % में (अर्थात 31 जुलाई, 2023 तक) <sup>1</sup> Old Profit Sharing Ratio in % (i.e. Upto 31 <sup>st</sup> July, 2023	नया लाभ साझाकरण अनुपात % में (अर्थात् 1 अगस्त, 2023 से) । New Profit Sharing Ratio in % (i.e. From 1 <sup>st</sup> August, 2023
श्री पीयूष शांतिलाल कोठारी Mr. Piyush Shantilal Kothari	25.00	0.00
श्री अनीश पीयूष कोठारी Mr. Anish Piyush Kothari	15.00	16.67
श्री नीलेश प्रवीण कोठारी Mr. Nilesh Pravin Kothari	15.00	16.67
श्री आशीष पीयूष कोठारी Mr. Ashish Piyush Kothari	15.00	16.67
श्री अतुल शांतिलाल कोठारी Mr. Atul Shantilal Kothari	15.00	16.67
श्री साहिल अतुल कोठारी Mr. Sahil Atul Kothari	15.00	16.66
श्री विरल निशित कोठारी Mr. Viral Nishit Kothari	0.00	16.66
कुल Total	100.00	100.00

*Handwritten signature*  
44

## पूंजी योगदान पूर्व और पश्चात

## Capital Contribution pre and Post

पार्टनर का नाम Name of Partner	पुराना पूंजी योगदान (राशि रुपये में) (अर्थात् 31 जुलाई, 2023 तक) Old Capital Contribution (Amt. in Rs) (i.e. upto 31 <sup>st</sup> July, 2023	नया पूंजी योगदान (राशि रुपये में) यानी 1 अगस्त, 2023 से New Capital Contribution (Amt. in Rs.) i.e. From 1 <sup>st</sup> August, 2023
श्री पीयूष शांतिलाल कोठारी Mr. Piyush Shantilal Kothari	2,50,000	0.00
श्री अनीश पीयूष कोठारी Mr. Anish Piyush Kothari	1,50,000	1,00,00,000
श्री नीलेश प्रवीण कोठारी Mr. Nilesh Pravin Kothari	1,50,000	1,00,00,000
श्री आशीष पीयूष कोठारी Mr. Ashish Piyush Kothari	1,50,000	1,00,00,000
श्री अतुल शांतिलाल कोठारी Mr. Atul Shantilal Kothari	1,50,000	1,00,00,000
श्री साहिल अतुल कोठारी Mr. Sahil Atul Kothari	1,50,000	1,00,00,000
श्री विरल निशित कोठारी Mr. Viral Nishit	0.00	1,00,00,000



Kothari		
कुल Total	10,00,000	6,00,00,000

## पार्टनर प्री और पोस्ट का विवरण

## Detail of partner Pre and Post

नामित भागीदार/भागीदार पूर्व Designated Partner /Partner pre	नामित भागीदार/भागीदार Designated Partner /Partners	नामित भागीदार/साझेदार पद Designated Partner /Partner post	नामित भागीदार/भागीदार Designated Partner /Partners
श्री पीयूष एस कोठारी Mr. Piyush S Kothari	साथी Partner	श्री अनीश पीयूष कोठारी Mr. Anish Piyush Kothari	नामित भागीदार Designated Partner
श्री नीलेश प्रवीण कोठारी Mr. Nilesh Pravin Kothari	साथी Partner	श्री नीलेश प्रवीण कोठारी Mr. Nilesh Pravin Kothari	नामित भागीदार Designated Partner
श्री अनीश पीयूष कोठारी Mr. Anish Piyush Kothari	नामित भागीदार Designated Partner	श्री आशीष पीयूष कोठारी Mr. Ashish Piyush Kothari	नामित भागीदार Designated Partner
श्री आशीष पीयूष कोठारी Mr. Ashish Piyush Kothari	नामित भागीदार Designated Partner	श्री अतुल शांतिलाल कोठारी Mr. Atul Shantilal Kothari	साथी Partner
श्री अतुल शांतिलाल कोठारी Mr. Atul Shantilal Kothari	साथी Partner	श्री साहिल अतुल कोठारी Mr. Sahil Atul Kothari	साथी Partner
श्री साहिल अतुल कोठारी Mr. Sahil Atul Kothari	साथी Partner	श्री विरल निशित कोठारी Mr. Viral Nishit Kothari	नामित भागीदार Designated Partner

यूनिट प्रतिनिधि ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या उन्हें किसी अन्य एलओपी के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न और पार्टनरशिप में बदलाव के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, समिति ने यूनिट को दूसरे एलओपी के लिए अलग से आवेदन करने का निर्देश दिया।

The Unit representative had sought clarification as to whether they need to apply for the change in the Shareholding pattern & Partnership for another LOP. Accordingly, Committee directed the Unit to apply separately for the other LOP.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न और पार्टनरशिप में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों

**Decision :** After deliberation, the Committee approved the proposal for Change in Shareholding Pattern & Partership of the company in terms of Instruction no 109, dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the unit to comply with

1/14

का पालन करने का भी निर्देश दिया:

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैर और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021 :

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all

114

	the records.		
<p><b>कार्यसूची मद सं 5:</b> वस्तुओ के ब्रॉड बैंडिंग के लिए मेसर्स ट्रांसएशिया बायो मेडिकल्स लिमिटेड से प्राप्त आवेदन ।</p> <p>इकाई ने आइटम के ब्रॉड बैंडिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और विवरण निम्नानुसार हैं।</p>	<p><b>Agenda Item No. 5:</b> Application received from M/s. Transasia Bio Medicals Ltd for Broad Banding of Items.</p> <p>The Unit had submitted application for Broad Banding of Items and the details are as under:</p>		
<p><b>मौजूदा स्वीकृत वस्तुएँ</b> <b>EXISTING APPROVED ITEMS</b></p>			
आईटीसी/सीपीसी कोड ITC/CPC Code	आइटम विवरण Item Description	मीट्रिक Metric	उत्पादन क्षमता Production Capacity
90278090	इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरण (विश्लेषक) Electronic Medical Equipments (Analyzers)	नग Nos	1500
<p><b>प्रस्तावित ब्रॉड बैंडिंग आइटम</b> <b>PROPOSED BROAD BANDING ITEM</b></p>			
आईटीसी/सीपीसी कोड ITC/CPC Code	आइटम विवरण Item Description	मीट्रिक Metric	उत्पादन क्षमता Production Capacity
90330000	इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल उपकरण- ऑटो एनालाइजर की असेंबली, सब असेंबली, सहायक उपकरण और पुर्जे Assembly, Sub Assembly, Accessories and Spares of Electronic Medical Equipment- Auto Analyzers	नग Nos	0
समिति ने इकाई प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण मांगा था कि उत्पादन क्षमता शून्य क्यों है। यूनिट प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि असेंबली, सब-असेंबली, सहायक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स मौजूदा उत्पादन का हिस्सा हैं। तथापि, सीमा शुल्क विभाग ने त्रिपक्ष के नेता में मदों के विवरण को शामिल करने का निर्देश दिया था।	<p>Committee had sought clarification from the Unit representative as to why the production capacity is NIL. Unit representative clarified that assemblies, sub-assemblies, accessories and spare parts are part of the existing production. However, Customs had instructed to include the description of items in the LOP.</p>		

2/5

<p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 19 (2) के संदर्भ में दिनांक 30.12.2019 को एलओपी में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल उपकरण -ऑटो एनालाइजर की असेंबली, सब असेंबली, सहायक उपकरण और स्पेयर की वस्तुओं की ब्रॉड बैंडिंग के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।</p>		<p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Broad Banding of items i.e. Assembly, Sub Assembly, Accessories and Spares of Electronic Medical Equipment- Auto Analyzers in the LOP dated 30.12.2019 in terms of Rule 19 (2) of SEZ Rules 2006.</p>	
<p>समिति ने निर्देश दिया कि अब से ऐसे सभी प्रश्नों और प्राप्त उत्तरों को एजेंडे में शामिल करने की आवश्यकता है।</p>		<p>Committee directed that henceforth all such queries and reply received need to be incorporated in the Agenda.</p>	
<p><b>कार्यसूची मद सं 06:</b> वस्तुओं की ब्रॉड बैंडिंग और एलओए में क्षमता को शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदन, जैसा कि पहले से ही निर्मित होने वाली मौजूदा वस्तुओं को मंजूरी दी गई है और साथ ही मेसर्स. रेनेसां ग्लोबल लिमिटेड (यूनिट- I) के शेष 2 वर्षों यानी 2023-24 और 2024-25 के लिए प्रक्षेपण के मध्यावधि संशोधन के लिए प्राप्त हुआ है।</p>		<p><b>Agenda Item No. 06:</b> Application received for Broad Banding of Items &amp; Incorporating Capacity in LOA as already approved existing items to be manufactured as well as mid-terms revision of projection for remaining 2 years i.e. 2023-24 &amp; 2024-25 of M/s. Renaissance Global Limited (Unit-I).</p>	
<p>मेसर्स. रेनेसां ग्लोबल लिमिटेड (यूनिट- I) ने वस्तुओं की ब्रॉड बैंडिंग और एलओए में क्षमता को शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है क्योंकि पहले से ही स्वीकृत मौजूदा वस्तुओं का निर्माण किया जाना है और साथ ही 2 साल की शेष अवधि यानी 2023-24 और 2024-25 के लिए प्रक्षेपण के मध्यावधि संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:</p>		<p>M/s. Renaissance Global Limited (Unit-I) has submitted application for Broad Banding of items &amp; incorporating Capacity in LOA as already approved existing items to be manufactured as well as mid-term revision of projection for remaining period of 2 years i.e. 2023-24 &amp; 2024-25. The Details are as under:</p>	
<p><b>वस्तुओं की ब्रॉड बैंडिंग:</b> <b>Broad Banding of Items:</b></p>			
क्रमांक Sr. No.	नए जोड़े जाने वाले आइटम्स का विवरण Description of the Items to be newly added	प्रस्तावित क्षमता Proposed Capacity	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण

44

			ITC (HS) Classification	
1	कांस्य आभूषण Bronze Jewellery	100.00	71179090	
2	काँपर ज्वैलरी Copper Jewellery	100.00	71179090	
<b>अनुमानों:-</b>				
<b>Projections:-</b>				
विवरण Particulars	स्वीकृत प्रोजेक्शन 5 साल यानी 2020-21 से 2024-25 के लिए Approved Projection For 5 years i.e. 2020-21 to 2024- 25	2 वर्ष यानी 2023-24 और 2024-25 के लिए स्वीकृत प्रक्षेपण Approved projection for 2 Year i.e. 2023-24 & 2024-25	2 वर्ष यानी 2023-24 और 2024-25 के लिए प्रस्तावित अनुमान प्रस्तावित संशोधित संशोधित Projection for 2 Year i.e. 2023-24 & 2024-25	
	रु. कोर में Rs. In Cores	रु. कोर में Rs. In Cores	रु. कोर में Rs. In Cores	(यूएस \$ '000') (US\$ '000')
निर्यात का एफओबी मूल्य FOB value of Exports	3291.00	1358.00	1950.00	2378.04
मशीनरी का आयात Import of Machinery	7.00	2.80	1.95	2.37
कच्चे माल का आयात Import of Raw Material	2369.52	977.76	1170	1426.82
पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों का आयात Import of Spares & Consumables	32.91	13.58	19.50	23.78
विदेशी सहयोगियों को लाभांश और मुनाफे का प्रत्यावर्तन Repatriation of dividends and profits to foreign collaborates	-	-	-	-
रॉयल्टि Royalty	-	-	-	-
लंपसम तकनीकी जानकारी फीस Lump sum Know how fee	-	-	-	-
डिजाइन और ड्राइंग फीस Design & Drawing fees	-	-	-	-
विदेशी तकनीशियनों का भुगतान Payment of foreign technicians	-	-	-	-
भारतीय तकनीक के प्रशिक्षण पर भुगताना विदेश को Payment on training of Indian tech. Abroad	-	-	-	-
निर्यात पर कमीशन Commission	3.50	8.30	5.85	7.13

14

on export				
विदेश यात्रा Foreign Travel	0.02	4.07	3.90	4.75
बाहरी वाणिज्यिक उधार/आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का एएमटी (विवरण निर्दिष्ट करें) Amt of interest to be paid on external commercial borrowing/deferred payment credit (specify details)	-	-	-	-
कोई अन्य भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें) पत्रक और विज्ञापन। सामग्री Any other payment (specify details) leaflets and advt. Materials	2.50	1.15	0.97	1.18
विदेशी मुद्रा व्यय Foreign exchange outgo	2415.45	1007.66	1202.17	1466.06
एनएफई NFE	875.55	350.34	747.83	911.98

**निर्णयः -** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वस्तुओं की ब्रॉडबैंडिंग और 2 वर्षों की शेष अवधि यानी 2023-24 और 2024-25 के लिए अनुमानों के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समिति ने नीति और उत्पादन क्षमता के अनुसार अनुमति नहीं दी गई वस्तुओं के मौजूदा विवरण के संबंध में एलओपी में संशोधन के प्रस्ताव की फिर से जांच करने और फिर से प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

**Decision:-** After deliberation, the Committee approved the proposal of Broad Banding of Items and revision of projections for remaining period of 2 years i.e. 2023-24 & 2024-25.

The Committee also directed to re-examine and re-submit the proposal of amendment in the LOP w.r.t. existing description of items not allowed as per Policy and production capacity.

**कार्यसूची मद सं. 07:** मेसर्स डिंपेक्स ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी 2 साल की अवधि यानी 2021-22 और 2022-23 के लिए.

**Agenda Item No. 07:** Monitoring of Performance of M/s. Dimpex Jewels Private Limited for the period of 2 years i.e. 2021-22 & 2022-23.

यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 & 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 & 2022-

114

	23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।	<b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 & 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.
समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को एपीआर वित्तीय वर्ष 2022-23 जमा करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, निर्दिष्ट अधिकारी को परिकल्पित निर्यात की तुलना में अंतरिक्ष [3500 वर्ग फुट] के उपयोग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।	The Committee also directed Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause Notice for delay in submission of APR for F.Y. 2022-23.  Further, Specified Officer was directed to submit a report on the utilization of space [3500 sq. ft.] vis-a-vis exports envisaged.
कार्यसूची मद सं. 08 : मेसर्स इको-फ्रेंडली डायमंड्स एलएलपी के प्रदर्शन की निगरानी 1 साल की अवधि यानी 2020-21 के लिए।  यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2020-21 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था, जिसमें उनके द्वारा एपीआर में प्रस्तुत डेटा था और इसे संतोषजनक पाया गया है।	<b>Agenda Item No. 08 :</b> Monitoring of Performance of , M/s. Eco-friendly Diamonds LLP for the period of 1 year i.e. 2020-21.  The unit has submitted the APR for the period 2020-21 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period

<p><u>निर्णय:</u> विचार-विमर्श के बाद, कमीटी ने 2020-21 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।</p> <p>समिति ने विशिष्ट अधिकारी को परिकल्पित निर्यातों की तुलना में स्थान के उपयोग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>2020-21 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed Specified Officer to submit a report on the utilization of space vis-a-viz exports envisaged</p>
<p><u>कार्यसूची मद सं. 09:</u> मेसर्स. इको-फ्रेंडली डायमंड्स एलएलपी के प्रदर्शन की निगरानी 2 साल की अवधि यानी 2021-22 और 2022-23 के लिए।</p> <p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p><u>निर्णय:</u> विचार-विमर्श के बाद, कमीटी ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।</p> <p>समिति ने विशिष्ट अधिकारी को परिकल्पित निर्यातों की तुलना में स्थान के उपयोग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p><b>Agenda Item No. 09 :</b> Monitoring of Performance of M/s. Eco-friendly Diamonds LLP for the period of 2 years i.e. 2021-22 &amp; 2022-23.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 &amp; 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 &amp; 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation,</p>

4/4

	<p>the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 &amp; 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed Specified Officer to submit a report on the utilization of space vis-a-viz exports envisaged.</p>
<p>कार्यसूची मद सं. 10 : मेसर्स एलिसियन डिजाइन के प्रदर्शन की निगरानी 2 साल की अवधि यानी 2021-22 और 2022-23 के लिए यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।</p>	<p><b>Agenda Item No. 10 :</b> Monitoring of Performance of , M/s. Elysian Design for the period of 2 years i.e. 2021-22 &amp; 2022-23</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 &amp; 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 &amp; 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 &amp; 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative</p>

114

	basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.
<p>कार्यसूची मद सं <b>11</b>: 2 साल की अवधि यानी 2021-22 और 2022-23 के लिए मेसर्स। स्टेलर ज्वैलरी के प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा किया है। 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था। समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को वर्ष 2022-23 में कच्चे माल के नकारात्मक आयात के कारण की जांच करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।</p>	<p><b>Agenda Item No. 11:</b> Monitoring of Performance of M/s. Stellar Jewellery for the period of 2 years i.e. 2021-22 and 2022-23.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 and 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 and 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee directed Specified Officer to examine and furnish the reason for negative import of raw material in the year 2022-23.</p>
<p>कार्यसूची मद सं. <b>12</b>: 1 वर्ष यानी <b>2021-22</b> की अवधि के लिए मेसर्स सितारा ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर जमा किया है। 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के</p>	<p><b>Agenda Item No. 12 :</b> <b>Monitoring of Performance of M/s Sitara Jewellery Pvt. Ltd. for the period of 1 year i.e. 2021-22</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation,</p>

114

<p>नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया-</p> <p>i. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे।</p> <p>ii. 21.03.2024 को बकाया राशि 6,000/- रुपये (जुर्माना और जुर्माना और क्रेच) को जल्द से जल्द चुकाने की इकाई।</p> <p>विनिर्दिष्ट अधिकारी परिकल्पित निर्यातों की तुलना में स्थान के उपयोग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p>the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed that:</p> <p>Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22.</p> <p>The unit to clear the outstanding dues Rs. 6,000/- (Fine &amp; Penalty and Creche) as on 21.03.2024, at the earliest.</p> <p>Specified Officer to submit a report on the utilization of space vis-a-vis exports envisaged</p>
<p><b>कार्यसूची मद सं.13:</b> 1 वर्ष की अवधि यानी 2022-23 के लिए मेसर्स. एमएफआर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत किया है। 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था। समिति ने स्थान का उपयोग करने और निर्यात को बढ़ावा देने की सलाह दी।</p>	<p><b>Agenda Item No.13:</b> Monitoring of Performance of M/s. MFR Electronics Components Pvt. Ltd for the period of 1 year i.e. 2022-23.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23, as the unit had achieved positive</p>

	<p>NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. Committee advised to utilize the space and boost the exports.</p>
<p><b>कार्यसूची मद सं. 14: 1 वर्ष यानी 2021-22 की अवधि के लिए मेसर्स सिद्ध ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी</b></p> <p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर जमा किया है। 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे।</li> <li>2. इकाई 21.03.2024 को 1,51,980.65/- रुपये की बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करेगी।</li> <li>3. इकाई को लंबित विदेशी मुद्रा वसूली को 30.04.2024 तक पूरा करना होगा और निर्दिष्ट अधिकारी को इसकी निगरानी करनी होगी।</li> <li>4. प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्रबंधक से मिलने के लिए लंबित विदेशी मुद्रा वसूली के संबंध में ऐसी सभी इकाइयों को प्राप्त करेगा।</li> </ol>	<p><b>Agenda Item No. 14 : Monitoring of Performance of M/s Sidds Jewels Pvt. Ltd, for the period of 1 year i.e. 2021-22</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22.</li> <li>2. Unit to clear the outstanding dues of Rs. 1,51,980.65/- as on 21.03.2024, at the earliest.</li> </ol>

1/4

	<p>3. Unit to clear the pending foreign exchange realization by 30.04.2024 and Specified officer to monitor the same.</p> <p>4. Specified Officer to meet the Manager of AD Bank w.r.t. pending foreign exchange realization i.r.o. all such Units.</p>
<p><b>कार्यसूची मद सं. 15 :</b> 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए मेसर्स वीडि ज्वेल्स आर्टिसन प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी</p> <p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p> <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे।</li> <li>2. इकाई 23.01.2024 को 15,000/- रुपये (क्रेच) की बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करेगी।</li> </ol>	<p><b>Agenda Item No. 15 :</b></p> <p>Monitoring of Performance of M/s VD Jewels Artison Pvt. Ltd for the period of 2 years i.e. 2021-22 &amp; 2022-23</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 &amp; 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 &amp; 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 &amp; 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22 &amp; 2022-23.</li> <li>2. The unit to clear the</li> </ol>



	<p>outstanding dues Rs. 15,000/- (Creche) as on 23.01.2024, at the earliest.</p>
<p>कार्यसूची मद सं. 16: मेसर्स. आइडियल ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडनीय उनके कृत्यों या चूक के लिए कारण बताओ नोटिस</p> <p>मेसर्स. आइडियल ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड GJ-05, SDF-VII, SEEPZ-SEZ, ANDHERI (E), मुंबई-400096 (अब LOA of Ideal Jewellery Pvt. Ltd का LOA जिसे 26.08.2021 को आयोजित UAC बैठक के माध्यम से ग्लोबल ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड के LOA के साथ विलय कर दिया गया है) को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत दंडनीय उनके कृत्यों या चूक के लिए कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 1992.</p> <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और निर्दिष्ट अधिकारी, एसईईपीजेड-एसईजेड को एसईजेड नियम, 2006 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.</p> <p>समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को भी निदेश दिया कि वे : उप-संविदा से संबंधित ऐसे सभी मामलों की जांच करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा सीआरए आपत्ति पर कार्रवाई में तेजी लाएं।</p>	<p><b>Agenda Item No. 16 : Show Cause Notice to the Ideal Jewellery Pvt. Ltd for their acts or omission punishable under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992</b></p> <p>Proposal was submitted before Approval Committee to issue a Show Cause Notice (SCN) to M/s. Ideal Jewellery Pvt. Ltd GJ-05, SDF-VII, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai-400096 (now LOA of Ideal Jewellery Pvt. Ltd Merged with LOA of Global Jewellery Private Limited vide the UAC meeting held on 26.08.2021) for their acts or omissions punishable under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.</p> <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee approved the proposal and directed the Specified Officer, SEEPZ-SEZ to initiate the process of issuance of SCN for violation of SEZ Rules, 2006.</p> <p>The Committee also directed Specified Officer to examine all such cases related to sub-contracting and furnish a report, and to expedite the action on the CRA objection.</p>
<p>बैठक सभापीठ को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई. The meeting ended with the vote of thanks to the Chair.</p>	

५५

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)  
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़



01.04.24

सी.पी.एस. चौहान / C.P.S. CHAUHAN  
Joint Director  
SEEZ  
भारत सरकार  
Govt of India, Ministry of Commerce and Industry  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 96.  
विशेष आयोग  
Joint Director  
SEEZ  
भारत सरकार  
Govt of India, Ministry of Commerce and Industry  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 96.  
Joint Director  
SEEZ  
भारत सरकार  
Govt of India, Ministry of Commerce and Industry  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 96.